यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप-निदेशक कारख़ाना/ब्वायलर उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप-निदेशक कारख़ाना/ब्वायलर उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के माह 03.2012 से 09.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.10.2018 से 30.10.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है एवं पत्रांक 34/xxvii(7)/2012 दिनांक 24.02.2012 के अनुसार उप- श्रम आयुक्त, कुमाऊँ क्षेत्र, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के अधीन ही इकाई का संचालन किया जा रहा था, इकाई को स्वतंत्र रूप से आहरण एवं वितरण अधिकार प्राप्त नही था।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा कारख़ाना अधिनियम 1948 एवं बवायलर अधिनियम 1923 के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण कार्यो को निष्पादित किया जाता है तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण कुमायु क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2014-15	0.00	0.00	57.85	47.20	7.41	5.06	-	13.00
2	2015-16	0.00	0.00	68.90	54.36	10.45	7.91	-	17.08
3	2016-17	0.00	0.00	75.70	52.75	10.45	8.50	-	24.90
4	2017-18	0.00	0.00	70.96	62.55	13.83	10.99	-	11.25
5	2018-19	0.00	0.00	70.77	34.99	18.40	5.25	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

b). श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल

c). उप-निदेशक कारख़ाना/ ब्वायलर्स, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2012 से 09.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय उप-निदेशक कारख़ाना/ब्वायलर उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप-निदेशक कारख़ाना/ब्वायलर उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018, 02/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग - 2 'ब'</u>

प्रस्तर:1- अनियमित व्यय रु 1.18 लाख का प्रकरण पाया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुयल 2012 के पैरा 93 के अनुसार " मदों के अंतर्गत आबंटित धनराशियों का व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी को सावधानी बरतनी चाहिए तथा व्यय संगत मद के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कार्यालय उप-निदेशक कारख़ाना/ ब्वायलर्स हल्द्वानी की बजट अभिलेखो की जांच की गयी। जांच मे संचालित मदों के अंतर्गत की गयी व्ययों की वर्ष 2014 से लेखापरीक्षा तिथि तक तथा सामग्रियों पर की गयी व्ययों एवं उनके मदों की संगतता की शासकीय दिशानिर्देश के अंतर्गत परीक्षण की गयी जिसमे कमिया प्रकाश मे आयी:-

वर्ष	बिल संख्या	मद जिससे व्यय किया गया	संगत मद जिससे व्यय किया जाना था	सामाग्री जिस पर व्यय किया गया	व्यय धनराशि
2013-14	94	कम्प्यू॰ अनु॰	कार्या॰ व्यय	टोनर	9542
-तदैव-	99	प्रकाशन	अन्य व्यय	पुस्तक क्रय	5000
2014-15	85	मशीन साज सज्जा	कार्या॰ व्यय	वाल क्लॉक	1250
2015-16	93	----तदैव----	कम्प्यू॰ अनु॰	यूपीएस अनुरक्षण	2290
-तदैव-	14	कम्प्यू॰ अनु॰	कार्या॰ व्यय	टोनर	11781
-तदैव-	54	मशीन साज सज्जा	कार्या॰ व्यय	फ़ैक्स मशीन अनुरक्षण	1450
2016-17	57	कम्प्यू॰ अनु॰	कम्प्यू॰ हार्ड वेयर/ साफ्टवेयर	एंटीवायरस क्रय	1738
-तदैव-	78	मशीन साज सज्जा	कार्या॰ व्यय	एलेक्ट्रिक सामाग्री क्रय	34527
-तदैव-	85	कार्या॰ व्यय	कम्प्यू॰ अनु॰	नेटवर्किंग	4308
-तदैव-	90	कम्प्यू॰ अनु॰	कम्प्यू॰ हार्ड वेयर/ साफ्टवेयर	एंटीवायरस क्रय	15740
-तदैव-	91	लेखन सामाग्री	कम्प्यू॰ हार्ड वेयर/ साफ्टवेयर	पेरिफेरलस	6795
2017-18	125	मशीन साज सज्जा	कार्या॰ व्यय	टेलीफोन क्रय	24000
				योग	118421/-

उपरोक्त तालिका मे शासन द्वारा निर्धारित मानक मद के विपरीत मशीन साज सज्जा के अंतर्गत वाल-क्लॉक, यूपीएस, फेक्स मशीन इलेक्ट्रिक सामाग्री तथा टेलीफोन पर व्यय किया गया जो अनुमन्य नही था। इसी प्रकार टोनर, एटीवाइरस क्रय कंप्यूटर अनुरक्षण मद के अंतर्गत, पुस्तक क्रय प्रकाशन मद के अंतर्गत, नेटवर्किंग कार्यालय व्यय के अंतर्गत तथा पेरिफेरलस लेखन सामग्री के अंतर्गत किया गया जो अनुमन्य नही था।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यालय का पूरा प्रयास रहता है कि व्यय संगत मदों के अंतर्गत ही किया जाए, फिर भी यदि त्रुटि प्रकाश मे आयी हो तो इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नही, सामग्रियों पर व्यय संगत मदों के अंतर्गत ही सुनिश्चित हो, की आशय की सूचना शासन द्वारा पूर्व से ही परिचालित है, फिर भी नियमो से अनभिज्ञता उदासिनता को इंगित करता है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग - 2 'ब'</u>

प्रस्तर:2- कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव नही किया जाना एवं शासनादेश के विपरीत धनराशि रु 33.30 लाख के वाउचरो का रखरखाव नियम संगत नही पाया जाना।

शासनादेश संख्या 3 / xxvii(6) / 2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 के द्वारा शासकीय भुगतान हेतु राज्य मे ई- प्रणाली लागू की गयी थी जिसके तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्वों मे पैरा संख्या 4.9 में के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों - यथा 11सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे ।

कार्यालय उप-निदेशक कारख़ाना/ ब्वायलर्स हल्द्वानी के रोकड़ बही संबन्धित अभिलेखो की जांच की गयी। चयनित नमूना जांच के दौरान माह 06/2018, 02/2017 एवं 03/2018 के क्रमश: धनराशि रु 7.44 लाख, 21.70 लाख एवं 4.16 लाख अर्थात कुल 31.07 लाख के वाउचरो/व्यय की जांच की गयी। जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया कि, कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव ई- प्रणाली लागू (वर्ष 2013 से) किए जाने के उपरान्त से नही किया गया एवं कार्यालय द्वारा कोषागार को समय समय पर प्रेषित देयकों(Bill), प्रपत्र01 एवं प्रपत्र-02 की छायाप्रतियों का रखरखाव भी नही किया गया। उपरोक्त नियम के परिपेक्ष्य मे कार्यालय स्तर से तैयार किए गए 11सी पंजिका, कोषागार प्रेषण पंजिका आदि का रखरखाव नियम संगत नही पाया गया क्योंकि संबन्धित पंजिकाओ मे संबन्धित देयकों/वाउचर के भुगतान संबन्धित विवरण अंकित न कर केवल मद संख्या अंकित किया गया जिस कारण लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत देयकों मे अंतिम भुगतान का पता लगाना संभव नही पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यालय एक ही आहरण वितरण अधिकारी के अधीन संचालित होने के कारण रोकड़ बही का रखरखाव क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त के स्तर पर संचालित की जाती रही है एवं भविष्य के लिए नोट किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्यूंकि इकाई स्तर से रोकड़ बही का रखरखाव वर्ष 2013 से नही किया जा रहा था ओर न ही इकाई द्वारा उपरोक्त शासनादेश के तहत ई-प्रणाली संबन्धित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर कार्यालय अभिलेखो का रखरखाव नियमतः सुनिश्चित किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
----------प्रथम लेखापरीक्षा----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
----------प्रथम लेखापरीक्षा----------						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप-निदेशक कारख़ाना/ब्वायलर उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री अवनेन्द्र सिंह न्याल	उप- निदेशक, कारख़ाना/ब्वायलर्स हल्द्वानी	लेखापरीक्षा अवधि से 28.05.2012
श्री पी एस कुटियाल	उप- निदेशक, कारख़ाना/ब्वायलर्स हल्द्वानी	28.05.12 से 31.12.12
श्री अवनेन्द्र सिंह न्याल	उप- निदेशक, कारख़ाना/ब्वायलर्स हल्द्वानी	03.01.13 से 31.07.13
श्री सी॰ एम॰ एस॰ बिष्ट	उप- निदेशक, कारख़ाना/ब्वायलर्स हल्द्वानी	31.07.13 से 10.09.13 तक
श्री विनोद कुमार सुमन	उप- निदेशक, कारख़ाना/ब्वायलर्स हल्द्वानी	10.09.13 से 24.01.14
श्री सुशील कुमार	उप- निदेशक, कारख़ाना/ब्वायलर्स हल्द्वानी	28.01.14 से 17.01.15 तक
डा॰ आनन्द श्रीवास्तव	उप- निदेशक, कारख़ाना/ब्वायलर्स हल्द्वानी	17.01.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप-निदेशक कारख़ाना/ब्वायलर उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.